| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>**निधी गहलोत व अन्य** बनाम **चिराग चौपड़ा व अन्य**<br><br>प्रार्थना पत्र सं0 13/2022 अन्तर्गत धारा 54, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 05.07.2022 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थीया व अप्रार्थीपक्ष–1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।<br><br>संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के वाक्यात इस प्रकार है कि ग्राम सालावास के ख.नं. 54/26 व 54/10 के ऑनलाईन नक्शे में दर्ज तरमीम को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र सं0 19/2022 प्रार्थी चिराग चौपड़ा बनाम निधी गहलोत व अन्य अन्तर्गत धारा 131, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष पेश हुआ जो विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में यह भी बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी लूणी पर राजनैतिक दबाव का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण व अन्य लोगों के द्वारा उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष पूर्व में राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए है जो विचाराधीन होना बताया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिन प्रतिदिन पेशियां दी जा रही है जिससे प्रार्थीया को आने जाने में परेशानी होती है तथा प्रकरण को स्थानान्तरण करने पर किसी भी पक्षकार को हानि नहीं होगी। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रकरण जोधपुर में किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने की प्रार्थना की गई।<br>प्रार्थीया ने बहस में बतलाया कि वो व उसके पति पेशे से डाक्टर है तथा उपखण्ड अधिकारी लूणी पर राजनैतिक दबाव में होने से इन प्रकरणों में सुनवाई के लिए नजगीक नजदीक पेशियां दी जा रही है जिससे पक्षकारान को आने जाने में परेशानी होती है। बहस में यह भी कहा कि अप्रार्थी चिराग चौपड़ा एवं प्रार्थीया भी जोधपुर में निवास करने से किसी पक्षकार को असुविधा भी नहीं होगी तथा न्यायहित में प्रकरण जोधपुर में ही किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाय।<br><br>लगातार | |

| | |
|---|---|
| 05.07.2022 | अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष विचाराधीन राजस्व प्रकरण सं0 19/2022 अन्तर्गत धारा 131, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में पक्षकार को हर पेशी पर जाना अनिवार्य नहीं है तथा यह प्रकरण प्रार्थीया एवं अप्रार्थी–1 के खेतों की सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने से संबंध में है किसी की भी खातेदारी प्रभावित नहीं होती है अतः यदि उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा सीमाज्ञान व पत्थरगढी का करने का बाबत् किसी भी आदेश से प्रार्थीया के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है अतः मात्र पेशी पर उपस्थित होने बाबत् हो रही परेशानी को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही जाने के बावजूद आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी चिराग चौपड़ा दोनों जोधपुर के निवासी भी है अतः न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी लूणी न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण सं0 19/2022 बअनवान चिराग चौपड़ा बनाम निधी गहलोत व अन्य को अग्रिम सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) न्यायालय को स्थानान्तरित करने के आदेश दिये जाते है। उपखण्ड अधिकारी लूणी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण तुरन्त उपखण्ड अधिकारी जोधपुर(दक्षिण) न्यायालय को स्थानान्तरित करते हुए प्रेषित करे। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की विधिवत सुनवाई करते हुए विधिसम्मतः निस्तारण करे। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। |